A 911

ालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

ान अधिकारी : श्री जे.पी. बैरवा , आर0ए0एस0

प्रार्थना पत्र संख्या : 22/2016

–

बनाम

र्ती भगवान श्री गोपालजी
के गोपालद्वारा मन्दिर निमाज
स्वत् नाबालिग जरिये महन्त
नादास उर्फ प्रेमकिशोर चैला
हन्त लिकमीदास जाति–वैष्णव
साधु) निवासी–महन्त गोपालद्वारा
मगज, तहसील–जैतारण (पाली)

अप्रार्थीगण :–
1. राजुदास पुत्र मदनदास
2. शिवदास पुत्र मदनदास
3. लक्ष्मीदेवी बेवा मदनदास
4. भगवानदास पुत्र नवलदास
5. नाथी पत्नि भगवानदास
जातियान–वैष्णव, निवासी–निमाज
तहसील–जैतारण, जिला–पाली

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 (2) राजस्थान शतकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 40 नियम 1 एवं धारा 151 सीपीसी

तारीख रजूः 12/02/2016

स्थितः. 1. श्री श्यामलाल तंवर, अधिवक्ता, प्रार्थी
2. श्री शाकिर हुसैन एवं श्री सुनिल प्रजापति, अधिवक्तागण, अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::– दिनॉकः 06/11/2017

वकील मय प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत रा 212 (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का श किया कि प्रार्थी ने एक वाद व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र उपरोक्त नवान का श्रीमान् के समक्ष पेश किया हैं, जिसमें सफलता मिलने की पूरी–पूरी भावना हैं। सरहद मौजा–निमाज–चक–द्वितीय, तहसील–जैतारण में भगवान श्री गोपाल ी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1360, 1361, 1362 कुल रकबा 64–00 बीघा की आई हुई हैं। जिसे बेरा हाम्बाव के नाम जाना जाता हैं। उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण अवैध व गैरकानूनी रूप से बिना किसी अधिकार के जबरन फसल बोते हैं व पैड़ काटते हैं। तारबन्दी करते हैं, पट्टीयां रोपते हैं तथा गेट लगाते हैं। इस प्रकार से उक्त भूमि की प्रकृति में बदलाव कर रहे हैं। जबकि उनको ऐसा करने का कोई कानून अधिकार प्राप्त नहीं हैं। अप्रार्थीगण उक्त भूमि को खुर्दबुर्द करने पर आमादा हैं तथा उक्त भूमि पर 100–100 व्यक्तियों की गेंग लाकर उक्त भूमि की सतह को नष्ट करने पर आमादा हैं। जिसमें प्रार्थी पुरी तरह प्रभावित हैं। ऐसी परिस्थितियों में उक्त भूमि को न्यायालय की तहवील में लेने के अलावा अन्य कोई दूसरा रास्ता नहीं होने से श्रीमान् की सेवा में यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा हैं।

वकील गै0सा0 ने जबाब पेश कर निवेदन किया हैं कि मौजा–निमाज–II में खसरा नम्बर 1360,1361, 1362 कुल रकबा 64–00 बीघा पर सैटलमेन्ट से काबिज हैं। इसलिए जब्त होने के पश्चात् उक्त कृषि भूमि पर जो काश्तकार काबिज था। उसे ही खातेदार घोषित किया गया हैं। सायल का कब्जा नहीं रहा हैं। नामान्तरकरण संख्या 151 तहसीलदार द्वारा दिनांक 16/09/1992 को गै0सा0 संख्या 01 व 02 के पिता के 03 के पति के स्थान पर पुनः मंदिर गोपाल जी के भरा वह निरस्त योग्य हैं। राजस्व मण्डल अजमेर के परिपत्र क्रमांक रा/मं/प 63/न्याय स्था/057(2)राज–6/363/689 दिनांक 06/01/2010 के परिपत्र प–4(2) राज6/2007/14 दिनांक 24/05/2007 की समुचित पालना के संदर्भ में राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

कारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने के वक्त अभिलेख में मूर्ति मंदिर के न्न रूपो के अभिनिर्णित भूमियों में काबिज काश्तकार खातेदार अधिकार होने निर्देश दिए गये थे। अप्रार्थीगण अपने खातेदारी में जायज हक अधिकारों के उक्त जमीन में फसल बो कर काबिज हैं। अप्रार्थीगण का कोई पेड काटते हैं। बन्दी, पट्टीया रोपकर गेट लगाने आदि अपनी कृषि भूमि व फसल की हिफाजत कानून की निगाह में इम्प्रुमेन्ट सुधार की तारीफ में आता हैं। किसी भी तरह से की प्रकृति में बदलाव की श्रेणी में नहीं हैं। अप्रार्थीगण के खिलाफ एसीजेएम कोर्ट ारण में धारा 427, 447,379 आईपीसी का उक्त कृषि भूमि में संबंध में दायर या। जो धारा 156(3) सीआरपीसी में थानाधिकारी पुलिस थाना जैतारण को कदमा दर्ज कर अनुसंधान हेतु भेजा, जिस पर मुकदमा एफ0आई0आर0 संख्या 69 नांक 07/02/2014 कायम किया। अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त को मान नहीं सकते । इस प्रकार से अप्रार्थीगण उक्त विवादित जमीन पर काबिज हैं, तो ऐसे कब्जे के खिलाफ कानूनन कोई भी रिसीवर मुकर्रर कर अप्रार्थीगण को बेदखल नहीं किया जा सकता हैं। यह कानून का सुनिश्चित सिद्धान्त हैं। धारा 212 आर.टी.एक्ट के आधार डेन्जर, वेस्ट, डेमेज, एलायनेटेड) नहीं हैं, तो रिसीवर आदेश 41 नियम 1 सीपीसी के तहत् मुकर्रर नहीं किया जा सकता हैं। यह दोनों प्रावधान अलग-अलग हैं। जहां पर पक्षकार विवादित सम्पति पर लम्बे समय से काबिज हैं और अपना कब्जा क्लेम कर रहे हैं और ऐसा कब्जा चाहे पक्षकार का चाहे डिफीक्टों पजेशन भी हो तो ऐसे पजेशन को रिसीवर मुकर्रर कर डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता हैं। जब वाद पत्र के साथ पेश टी.आई. को कन्फर्म करने का आदेश या रिसीवर मुकर्रर करने का आदेश वाद से अन्तिम निर्णय तक कर दिया जाता हैं, तो जिस पक्षकार के विरूद्ध आदेश हआ हैं। वह पक्षकार धारा 212(2) आर.टी.एक्ट के तहत् केस सिक्यूरिटी पेश कर उक्त विवादित कृषि भूमि पर काश्त करने की इजाजत ले सकता हैं। इसं प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही नहीं हुई हैं। इसलिये प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र मिस कन्सीव्ड हैं, काबिल खारिज के हैं। इसलिये इन आधारों में अभाव में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र कानूनन मेन्टेबल नहीं होने से काबिल खारिज के होने से खारिज फरमावें।

बहस सुनी गई। बहस समायत की गई। वकील अप्रार्थी ने बहस के दौरान न्यायिक दृष्टान्त पेश किये, (1) RRD 1991 पेज 297, (2) RRD 1991 पेज 351, (3) RRD 1991 पेज 422, (4) 1999 SUP. CC 91 orissa, (5) RRD 1974 पेज 124, (6) RRD 1974 पेज 477, (7) RRD 1982 पेज 307, (8) RRD 1995 पेज 640, (9) RRD 1989 पेज 160, (10) RRD 1989 पेज 402, (11) RRD 1989 पेज 620, (12) RRD 1987 पेज 128, (13) RRD 1987 पेज 230, (14) RRD 1987 पेज 592, (15) Law of Tenancy in Rajasthan पेश किये। बहस पर मनन किया गया। न्यायिक दृष्टान्तों का अध्ययन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मौजा-निमाज-ा में खसरा नम्बर 1360, 1361, 1362 कुल किता-3 कुल रकबा 64-00 बीघा भूमि डोली बनाम मंदिर श्री गोपालजी महाराज गोपाल द्वारा निमाज खातेदार दर्ज हैं। इसलिये प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित हैं। डोली की जमीन होने से गै0सा0 का हक समाप्त हो जाता हैं। वर्तमान रेकर्ड में गै0सा0 खातेदार दर्ज नहीं हैं। एक खातेदार ही अपनी भूमि का विक्रय कर सकता हैं, जबकि इस भूमि के खातेदार डोली बनाम मंदिर श्री गोपाल जी महाराज गोपाल द्वारा निमाज खातेदार दर्ज हैं। यदि इस भूमि का कब्जा खातेदार को नहीं दिलाया गया अथवा रिसीवर नियुक्त कर डोली बनाम मंदिर के

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

की रक्षा नहीं की जाती हैं, तो अपूरणीय क्षति भी सायल को होने की पूर्ण हैं। मंदिर होने बाबत् व जमीन मंदिर की होने बाबत् तथा साबूत लेकर ही तय होगा। गै0सा0 द्वारा दखल करने से एवं पेड काटकर ले जाने से राज्य का नुक्शान होता हैं। इसमें राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 284/2013 में 19/12/2013 के आदेश को पुख्ता किया गया हैं। अतः हम सायल द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 आदेश 40 नियम 1 एवं धारा 151 सीपीसी को स्वीकार कर विवादित पर रिसीवर नियुक्त करना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित आदेश 40 नियम 1 एवं धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाता हैं। सरहद मौजा=निमाज–चक–द्वितीय, तहसील–जैतारण में स्थान श्री गोपाल जी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1360, 1361, 1362 कुल 64–00 बीघा को कुर्क करने का आदेश पारित करते हैं। उक्त विवादित भूमि तहसीलदार जैतारण को रिसीवर नियुक्त किया जाता हैं। तहसीलदार जैतारण को आदेश दिया जाता हैं कि उक्त विवादित भूमि में रहवासी मकान, कृषि यंत्र रखने के स्थान, पशु बाधने, चारा रखने के स्थान व आम रास्ता हो तो को छोड़कर शेष भूमि का कब्जा बहक सरकार प्राप्त कर विधिवत् सालाना काश्त हेतु नियमानुसार निलामी कार्यवाही की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील शुदा पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 06/11/2017 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Scanned by CamScanner